



"आवास वित्त - उभरते परिदृश्य" पर विशेष रूप से महिला अधिकारियों के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम

07 मार्च, 2019

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली

राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ. बैंक) की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत जुलाई 1988 में हुई है जो आवास वित्त संस्थानों को स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर संवर्धन करने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करने और इसके साथ जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों हेतु एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

रा.आ.बैंक अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, जनता के हित में राष्ट्रीय आवास बैंक को उम्मीद है कि देश की आवास वित्त प्रणाली को इसके लाभ के लिए विनियमित करें या जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किये जा रहे किसी भी आवास वित्त संस्थान के मामलों को या आवास वित्त संस्थानों के हित हेतु प्रतिकूल तरीके से होने से रोकें। रा.आ.बैंक की अन्य भूमिकाओं में वित्तपोषण और संवर्धन शामिल है।

कार्यक्रम की आवश्यकता और उद्देश्य

रा.आ.बैंक को सौंपी गई कई जिम्मेदारियों में से, मानव संसाधन का विकास बैंक का एक बड़ा एजेंडा है। तदनुसार, बैंक ने आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.), वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक आवास एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आवास से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां और संगोष्ठी के माध्यम से आंशिक रूप से इसे संबोधित करने की मांग की है।

इस एक दिवसीय गैर-रिहायशी कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते बाजारों में आवास और आवास वित्त के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा, आवास वित्त के विनियामक ढांचे और अन्य इंटरैक्टिव सत्र जैसे विषय आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन आवास वित्त कंपनियों और बैंकों (एससीबी, आरआरबी और यूसीबी) की केवल महिला अधिकारियों के लिए किया जा रहा है।

कार्यक्रम विषय

- आवास और आवास वित्त का अवलोकन
- भारत में आवास वित्त का विनियामक ढांचा
- महिला और नेतृत्व



"आवास वित्त - उभरते परितुश्य" पर विशेष रूप से महिला अधिकारियों के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम

07 मार्च, 2019

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली

प्रतिभागी प्रोफाइल और संख्या

पहले आओ पहले पाओ आधार पर 30 भागीदारी स्वीकार किये जाएंगे। आ.वि.कं. और बैंकों (एससीबी/आरआरबी/यूसीबी/एसएफबी) की महिला अधिकारी।

नामांकन शुल्क: (केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान)

- गैर-रिहायशी (साझा करना): ₹ 5,000.00 प्लस 18% जीएसटी (प्रति व्यक्ति ₹ 5900.00 की कुल राशि) (शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है और किसी भी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नामांकन की पुष्टि करने के लिए पूरे शुल्क को पूर्ण पंजीकरण फॉर्म के साथ विप्रेषित करना होगा। इनवायस प्रशिक्षण के 30 दिनों के भीतर और केवल भुगतान के बाद ही जारी किए जाएंगे।)

विप्रेषण का विवरण नीचे दिया गया है:

क. खाते का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
ख. बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
ग. शाखा का नाम	नई दिल्ली के.जी. मार्ग
घ. शाखा का पता	जी-3-4, सूर्यकिरण भवन, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001
ड.. खाता सं.	00030350014372
च. खाते का प्रकार	चालू
छ. एमआईसीआर कोड	110240001
ज. शाखा का आईएफएससी कोड	एचडीएफसी 0000003
झ. रा.आ.बैंक की जीएसटी सं.	07एएबीसीएन2600एच1जेडवाई
ञ. रा.आ.बैंक का जीएसटी पता	राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली-110003

स्थान:

बोर्ड रूम, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली -110003

प्रारंभ:

07 मार्च, 2019 को 10.00 बजे

समापन:

07 मार्च, 2019 को 17.00 बजे

नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 02 मार्च, 2019



"आवास वित्त - उभरते परितुश्य" पर विशेष रूप से महिला अधिकारियों के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम

07 मार्च, 2019

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली

नामांकन प्रपत्र

अंग्रेजी में नाम: (श्रीमती/श्री./सुश्री./डॉ.)	
हिन्दी में नाम (श्रीमती/श्री./कुमार/डॉ.)	
लिंग(पुरुष/स्त्री)	
आवास वित्त कंपनी का नाम	
रिहायशी	
आयु	
पद	
अनुभव (वर्षों में)	
योग्यता	
जिम्मेदारियां	
पता	
मोबाइल नं.	
कार्यालय दूरभाष सं.	

भुगतान विवरण

राशि (₹ में)	
भुगतान तिथि	
यूटीआर सं.	
जीएसटी सं. जिसके लिए इनवॉयस जारी किया जाना है	
संस्थान का पता जिसके लिए इनवॉयस जारी किया जाना है	
पता जिसके लिए इनवॉयस भेजा जाना है	
राज्य	

नोट: कृपया उपर्युक्त प्रत्येक विवरण भरें

संबोधित और ईमेल करने के लिए नामांकन:

क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रभाग और सीसीसी, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, तीसरी से 5 वीं मंजिल, इंडिया हैबीटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
टेलीफोन: + 9111 39187189; +9111 3918712 9
ईमेल पता- sukriti.wadhwa@nhb.org.in , narayan.sahai@nhb.org.in.